आज दिनांक 29.12.2014 को श्री मनमोहन शर्मा, माननीय अतिरिक्त जिलाधीश, जिला सिरमौर, की अध्यक्षता में प्रो. श्री शिव कुमार मैसर्स **शिवा** स्टोन क्रशर एवं वाशिंग स्क्रीनिंग पलांट, ग्राम चूबन, डाक घर पालीयों खेडा मन्दिर के समीप तहसील नाहन जिसका प्रोप्राइटर श्री शिव कुमार, है की अपनी लीज भूमि तदादी 48.09 बीघा में हिल स्लोप से रेत, पत्थर बजरी आदि के संग्रह/खनन उत्पादन की करने प्रस्तावना बारे हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण बोर्ड पांवटा साहिब की सौजन्य से लोकजन सुनवाई का आयोजन ग्राम चूबन, में खेडा मन्दिर के समीप, तहसील नाहन में किया गया। इस लोकजन सुनवाई हेतु गठित समिति के सदस्य एंव सुनवाई के दौरान उपस्थित लोगो की सूची अनुबन्ध ; क पर संलग्न है।

–0–

सर्व प्रथम हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता, श्री अविनाश कुमार शारदा द्वारा अध्यक्ष महोदय का जन सुनवाई हेतु स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई को प्रारम्भ किया गया। अधिशासी अभियनता ने बताया कि प्रो0 श्री शिव कुमार, मैसर्स **शिवा** स्टोन क्रशर एवं वाशिंग स्क्रीनिंग पलांट, ग्राम चूबन डाक घर पालीयों तह0 नाहन जिला सिरमौर खेडा मन्दिर के समीप तहसील नाहन द्वारा अपनी लीज भूमि खसरा न. 61/3, 172/62/3, 174/63/2, 68/2 व 67/2 किते= 5, तादादी 48.09 बीघा, मौजा चूबन, तहसील नाहन में हिल स्लोप से रेत, पत्थर बजरी आदि के संग्रह/खनन उत्पादन की करने प्रस्तावना बारे प्रस्तावना के लिये अनुमति दी जानी प्रस्तावित है जिसके लिये लोक जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार पर्यावरण मन्त्रालय द्वारा दिनांक 14॰09॰2006 की अधिसूचना के अंर्तगत जारी किए गए निर्देशानुसार किया जा रहा है। उन्होने संग्रह/खनन उत्पादन से होने वाले प्रभावो के लिये लोगो से आपत्तियॉं तथा सुझावो को अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखने का आह्यान किया तथा कहा कि किसी भी व्यक्ति को उक्त लीज भूमि से खनन/संग्रह करने हेतु यदि कोइं आपति आंशकायें हो तो वे निर्भय होकर अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अध्यक्ष महोदय ने जन सुनवाई के दौरान उपस्थित लोगो को स्पष्ट किया कि उनके द्वारा खनन से होने वाले प्रभावों व सुझावो एंव आपत्तियों को यथा स्वरूप सम्बन्धित विभाग को अग्रेषित कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित जनता से आह्वान किया कि वह निर्भीक होकर अपनी आपत्तियों व सुझाव जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कर सकते है।

मैसर्स मैसर्स **शिवा** स्टोन क्रशर एवं वाशिंग स्क्रीनिंग पलांट, ग्राम चूबन, डाक घर पालीयों खेडा मन्दिर के समीप तहसील नाहन के प्रतिनिधि द्वारा अपनी कथित लीज 48.09 बीघा भूमि क्षेत्र में हिल स्लोप से रेत,पत्थर बजरी आदि के संग्रह/खनन उत्पादन के लिये प्रस्तावित खनन के बारे विस्तृत रिर्पोट प्रस्तुत की तथा बताया कि खनन उत्पादन क्षमता 72670 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है जिससे कोई पर्यावरण का नुकसान नही होगा तथा अवगत कराया कि खनिजों का संग्रह/खनन पहाडी खनन से किया जायेगा तथा खनन के लिये कोई विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। उन्होनें बताया कि प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण के पश्चात स्पष्ट हो गया है कि इसमें कोई भी जंगलाती भूमि शामिल नही है। उन्होनें बताया कि खनन कार्य में प्रयोग होने वाले उपकरणो की ध्वनि अस्थाई होगी जिससे कोई वायु प्रदूषण नहीं होगा और खनन का कार्य पर्यावरण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार ही किया जायेगा तथा खनन का कार्य केवल दिन के समय ही किया जायेगा तथा रात्रि के समय किसी भी प्रकार का खनन कार्य नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त खनन के बाद आसपास की क्षेत्र की भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। उन्होने बताया कि खनन क्षेत्र में कोई आबादी व ग्राम इत्यादि नही है जन सुनवाई के दौरान अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पूर्व में खनन द्वारा किये गये खनन कार्य से किसी भी प्रकार के नुकसान तथा उनके

...2/-

आचारण के बारे लोग अपने सुझाव निर्भय होकर प्रस्तुत कर सकते है उन्होने प्रतिनिधि से जानकारी चाही कि प्रस्तावित स्थल पर किये जाने वाले कार्यो का स्थानीय निकायों तथा लोगो से सत्यापन करवाया जाना चाहिये ताकि किये जाने वाले कार्यो की पारदर्शिता बनी रहे। तत्पश्चात निम्नलिखित व्यक्तियों ने अपने सुझाव व आपत्तियां व्यक्त की:-

क.स.	नाम पता एंव विवरण	निवारण
1	श्री जीतराम ग्राम चूडन ने खनन कार्य का विरोध करते हुऐ कहा कि जहा खनन के लिए जमीन में बुर्जी लगी है वहां बीच मे उसकी भी जमीन आती है और वहां जाने के लिए रास्ता भी नही है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित खनन से उसकी भूमि का कटाव होगा और फसल आदि नष्ट हो जायेगी और उसकी जमीन का रास्ता भी खराब हो जायेगा।	अध्यक्ष महोदय ने टिपण्णी की कि आवेदक फर्म के प्रबंधन द्वारा इस क्षेत्र के साथ लगने वाली भूमि के अन्य मालिकन को भी प्रक्रिया में शामिल करके प्रारंभ में ही खनन क्षेत्र की सीमाओं का उचित निर्धारण करना चाहिए था। तथापि उन्होंने आदेश दिए कि इस प्रकरण में लीज स्वीकृत होने उपरांत और खनन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रबंधन द्वारा इस क्षेत्र की उचित निशानदेही कराई जाए। प्रोजेक्ट प्रबन्धन के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि वह पूर्ण रूप से सुनिश्चित करेंगें कि जिनकी जमीन लीज मे नही भी आती उसे भी रास्ता दिया जाए और यदि कहीं भूमि का कटाव होगा तो वह उनको प्रशासन द्वारा निर्धारित मुवावजा देंगे। प्रतिनिधि द्वारा अध्यक्ष महोदय को आश्वासन दिया गया कि उनके निर्देशों की पालना की जायेगी तथा प्रस्तावित क्षेत्र को चिन्हित करते हुये लोगो की जागरूकता हेतू बोर्ड लगाये जायेगें। इसके अतिरिक्त लीज एरिया की निशानदेही करवा कर इसे सीमांकन किया हुआ है व सीमांकन के समय इस वक्ता ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। बुर्जिया लगाते समय इन्होने कोइ आपत्ती नही जताई जबकि बुर्जियां इनके सामुख ही लगाई गई थी। तथापि प्रतिवर्ष खनन कार्य की योजना बनाई जाकर खनन कार्य निर्धारित स्थल पर ही करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भूमि कटाव के बारे मे प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि जो भी खनन करेगे तो वैज्ञानिक ढंग से कि जाएगी और साथ लगती जमीन के साथ बफर जोन बना देगे जिसके तहत उचित ढंगे आदि लगाये जायेगे ताकि साथ लगती जमीन का कटाव न हो। इसके बावजूद यदि कोइ नुकसान होता है तो उन द्वारा नुकसान की उचित भरपाई की जायेगी। जहां तक फसल के नष्ट होने का सम्बंध है इस बारे में सूचित किया जाता है कि यहां पर पिछले 12 साल से कोइ फसल नही उगाइ गई है। अध्यक्ष महोदय ने इस कथन की पुष्टि करने के सम्बंधित खनन अधिकारी तथा पटवारी को आदेश दिए ।
2	श्री टीका राम ग्राम चूडन ने भी एतराज जताया कि उसकी भी जमीन इसी लीज क्षेत्र मे आती है। उसने कहा कि खनन किये जाने से उसकी भूमी के कटाव का बहुत खतरा है।	प्रोजेक्ट प्रबन्धन के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि वह पूर्ण रूप से सुनिश्चित करेंगें कि हम खनन के कार्य को वैज्ञानिक तरीके से करेंगें और अधिक से अधिक पोधारोपण किया जाएगा। भूमि कटाव के बारे मे प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि खनन कार्य क्षेत्र के साथ बफर जोन बना देगे ताकि भूमि का कटाव न हो।

...3/-

3	श्री नरेश कुमार ग्राम चूडन ने भी यह व्यक्त किया कि प्रस्तावित खनन से उसकी भी जमीन गिर जाएगी और भूमी कटाव होगा।	प्रोजेक्ट प्रबन्धन के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि हम सिंफ वहीं पर खनन का कार्य करेंगे जहां पर हमें सरकार द्वारा खनन कार्य कि अनुमति दी हैं।
4	श्री वीरेन्द्र कुमार ग्राम चूडन ने इस खनन प्रस्तावना बारे अपनी सहमति जताते हुए व्यक्त किया कि खनन क्षेत्र में तो उसकी भी 36 बीघा जमीन है जो कि खसरा न० 6163 में स्थित है जिसने ब्वे की रोड बनी है और वो उंची नीची हैं। वहां कि जमीन किसी भी कार्य के योग्य नही हैं। वो जमीन खनन कार्य के लिए ठीक है। और हम सब इस कार्या से सहमत है। अतः खनन कार्य के लिए सहमति जताई।	प्रोजेक्ट प्रबन्धन के प्रतिनिधि से आश्वस्त करवाया कि खसरा न० 6163 जमीन 36 बीघा मे वहां पर कोई भी सरकारी सडक नही है।
5	श्रीमति कमला देवी ग्राम चूडन ने कहा कि प्रस्तावित खनन से उसकी जमीन ऊंची-नीची हो जायेगी जिससे जमीन बहने का जोखिम हो जायेगा । इसलिए वह इस खनन प्रस्ताव का विरोध करती है।	प्रोजेक्ट प्रबन्धन के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि वर्षा ऋतु में खनन कदापि नहीं किया जायेगा और खनन कार्य सरकार द्वारा अनुमोदित माईन प्लान के अनुसार स्वीकृत क्षेत्र में ही किया जायेगा। यदि हमारे खनन करने से कोई नुकसान होगा तो हम उसका उचित मुआवजा देंगे। जो इस खनन कार्य के विरोध में है उनमे से कुछ एक को जमीन की लीज लेने के लिए उन्होंने कई बार सम्पर्क किया।
6	श्री जय चन्द शर्मा ग्राम चूडन ने सहमति जताते हुए व्यक्त किया कि खनिज वाली क्षेत्र मे हमारी भी जमीन है जिसमे बुर्जी लगी है और यहां खनन होना है। वहां कि जमीन उंची नीची होने के कारण जमीन कामयाब नही हैं। वो जमीन खनन के लिए उचित है। और हम सब इस कार्य से सहमत है। अतः खनन कार्य के लिए सहमति जताई।	शून्य
7	श्री मोहन लाल ग्राम चूडन ने कहा कि नदी मे खनन कार्य होने से रास्ता टूट जाएगा और भूमि कटाव भी होगा।	हमारे द्वारा नदी के क्षेत्र मे खनन करने की कोई प्रस्तावना नही है। तथापि उन्होंने आश्वासन दिया कि वह समय समय पर रास्ते को उचित ढंग से मुरम्मत कराते रहेंगे तथा रास्ते को और भी अच्छा बनाएंगे। यदि हमारे खनन करने से किसी की जमीन आदि को कोई नुकसान होगा तो हम उसका उचित मुआवजा देंगे।
8	श्री भूषण कुमार ग्राम चूडन ने कहा कि इनकी जमीन के साथ ब्वे की रोड नही है यह जमीन उपर नीचे है तथा कांशि के योग्य नही है इसलिए हमें एतराज नहीं है इस क्षेत्र मे कार्य करने की अनुमति मिलनी चाहिए।	शून्य
9	श्री निर्मल कुमार ग्राम चूडन ने कहा कि ये जो चर्चा पर्यावरण से संबिन्धत चल रही है उसकी श्रंखला में यह आगे कहना चाहता हूं कि यह जमीन उपजाऊ नही है और खेती के योग्य भी नही है और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर 12 साल खेती हुई भी है या नही। यहां पर खनन का कार्य ही उचित होगा और इनको काम करने कि अनुमति मिल जानी चाहिए।	शून्य
10	श्रीमति सरीता शर्मा ग्राम चूडन ने कहा कि यहां पर खनन के कार्य करने से रोजगार के अवसर बढेंगे और जो यहां पर रास्ता उंचा नीचा है उसमें भी सुधार होगा व क्षेत्र की तरक्की होगी तथा हालात सुधर जाएगें। उन्होंने खनन कार्य का समर्थन किया।	शून्य

11	श्री धर्मेंद्र वर्मा ग्राम चूड़न ने कहा कि हिमाचल में उद्योग धन्धे बन्द हो रहे है जिस कारण लोग बेरोजगार हो रहे है । उसने प्रस्तावित खनन लीज हेतु सहमति जताते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए ।	प्रोजेक्ट प्रबन्धन के प्रतिनिधि ने आश्वस्त कराया कि वह स्थानीय लोगों को प्राथमिकता आधार पर रोजगार देंगे और इसके अलावा स्वास्थय, सड़क पानी व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे।
12	श्री अनिल कुमार उप प्रधान ग्राम चूड़न ने सहमति जताते हुए यह व्यक्त किया कि प्रोजेक्ट प्रबन्धन को इस कार्य करने की अनुमति मिल जानी चाहिए क्योंकि इस कार्य से स्थानिय लोगों को रोजगार मिलेगा तथा जो खनिज नदी में बह-बह कर हरियाणा जा रहा है वह खनिज हिमाचल में इस्तेमाल होगा तथा बजरी रेत इत्यादि के लिए बाहर नही जाना पड़ेगा।	प्रोजेक्ट प्रबन्धन के प्रतिनिधि ने आश्वस्त कराया कि हम यहां के लोकल लोगों को रोजगार देंगें और इस के अलावा स्वास्थय सड़क पानी व अन्य सुविधाएं जो कि पंचायत समय समय पर अवगत कराऐंगें हम करने को तयार है। इसके अलावा हम आसपास की पंचायतो के लोगों को उचित दामो पर मैटिरियल उपलब्ध करवाएंगे।
13	श्रीमति शकुंतला देवी प्रधान ग्राम पंचायत पांलीयों ने सहमति जताते हुऐ यह व्यक्त किया कि जब प्रेषर प्रबन्धक के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि हम यहां के लोकल लोगों को रोजगार देंगें और इस के अलावा स्वास्थ्यए सड़क पानी जैसी सुविधाएं जिसके लिए पंचायत समय समय पर अवगत करवाएगी हम करने को तैयार हैं। इसके अलावा हम आसपास के गावो में भी विकास कार्य करवाएंगें।	प्रोजेक्ट प्रबन्धन के प्रतिनिधि ने इस संदर्भ में आश्वासन दिया । अंत में प्रोजेक्ट प्रबन्धन ने अध्यक्ष महोदय व अन्य अधिकारीगण तथा उपस्थित सभी लोगों का धन्यावाद किया।

हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता श्री ऐ0 के0 शारदा ने जन सुनवाई का पुनः आह्वान किया कि यदि किसी के मन में किसी भी प्रकार की शंका हो तो जन सुनवाई के दौरान निःसकोंच बता सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जन सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किये गये सुझावो एंव आपत्तियों का सारांश बताया । कोई अन्य आक्षेप अथवा सुझाव प्राप्त न होने पर उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अपने विचार रखने हेतु आग्रह किया।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हि0 प्र0. राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा इस प्रकार की खनन गतिविधियों / परियोजनाओं को अनुमति देने से पूर्व, इसके पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव आदि के दृष्टिगत सम्बंधित क्षेत्र के लोगों के आक्षेपों, सुझावों व मांगो की जानकारी प्राप्त करने के आशय से उनकी सुनवाई हेतु लोक सुनवाई का यह मंच प्रदान किया गया है । इसलिए इस लोक सुनवाई में केवल विषय वस्तु एंव पर्यावरण की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिये। उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व सम्बंधित लोगों को माईनिंग लीज के बारे में पता नही होता था और लीज ग्रांट हो जाती थी लेकिन अब स्थिति बदल गई है । उन्होंने यह भी कहा कि खनिज विकास कार्यों के लिए जरूरी हैं जबकि इस प्रकार की गतिविधियों से पर्यावरण को कुछ ना कुछ हानि जरुर होती है । परन्तु यदि खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकास

...5/

गतिविधियों व पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन व सम्नवय कायम करना जरूरी है । प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस प्रकार से किया जाना चाहिये कि आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण के दृष्टिकोण से कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े । उन्होने आहवान किया कि प्रबन्धन भविष्य में अपनी कारपोरेट सोसिअल रेस्पोंसिबिलिटी को सही ढंग से निभाना सुनिश्चित करे तथा किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी खनन कार्य न करे अन्यथा उनके विरुद्ध त्वरित कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करते हुये जन सुनवाई सम्पन्न हुई।

(मनमोहन शर्मा), हि. प्र. से.
अध्यक्ष एवं अतिरिक्त जिलाधीश,
जिला सिरमौर स्थित नाहन, हि.प्र.